

drugs, intermediates and raw materials is to encourage the manufacture of bulk drugs and formulations from more basic stages as also to ensure the availability of medicines in abundant quantity at reasonable prices to the consumers.

The names of bulk drugs on which Government reduced/exempted custom duty during the year 1991 and 1992 have been given in Ministry of Finance Notification No. 45/79-Customs dated 1-3-1979 (as amended from time to time) and Notification No. 216/92-Customs dated 19-6-92. The copies of these notifications are available in the Parliament Library. As regards the names of major producers of formulations based on each drug, their number being very large, the time and labour involved in the collection and compilation of this voluminous information will not be commensurate with the results likely to be achieved.

Suspension of Labourers in F.C.I.

3078. SHRI VISHWASRAO RAM RAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that five labourers have been suspended in the factory of Fertilizer Corporation of India at Sindri (Dhanbad), Bihar as appeared in *Jansatta* dated 2nd July, 1992 under the caption Sindri Karkhane Me Panch Majdoor Nilambit”.

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to (c) Five workers of the Sindri Unit of Fertilizer Corporation of

India Limited (FCI) were suspended with effect from 29-6-1992 on account of misconduct. FCI have reported that these employees prevented the contract workers from bagging work and also mis-behaved with the Plant Manager. Departmental proceedings have also been initiated against them.

उर्वरक क्षेत्र के कर्मकारों के वेतनमानों में असमानता

3079. श्री राजभाई ए० परमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक क्षेत्र के कर्मकारों के वेतनमानों में असमानता विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चौथे वेतन आयोग ने क्या-क्या सिफारिशों की हैं और किस क्षेत्र ने इन्हें लागू नहीं किया है; और

(घ) जिन क्षेत्रों में उक्त सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है उनमें इन्हें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रासायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन): (क) और (ख) सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की प्रत्येक उर्वरक कम्पनी में श्रमिकों के वेतनमान को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है । (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग (भाग 1) की रिपोर्ट जो अन्य बातों के साथ-साथ वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित थी, 18 जुलाई, 1986 (अंग्रेजी रूपान्तर), 4 नवम्बर, 1986 (हिन्दी रूपान्तर) सभापटल पर रखी गयी थी । आयोग की सिफारिशों केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सहित सरकार के विभागीय उपक्रमों के औद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित है और ये सिफारिशें सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू कर दी गयी हैं । केन्द्रीय वेतन आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सिफारिश नहीं की है ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम विवरण टिप्पणी

दिनांक 1-1-87 से लागू 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत श्रमिकों के वेतनमान

एफ० सी० आई० एन० एफ० एल०
समूह की कम्पनियाँ अर्थात्
एफ० सी० आई०, एच० एफ० सी०,
आर० सी० एफ०, पी० डी० आई०
एल०, एन० एफ० एल०

1100-20-1400

1185-20-1265-21-1475

1195-21-1279-25-1554

1235-25-1360-27-1630

1235-28-1459-33-1723

1350-44-1526-52-2098

1350-44-1526-52-1734-61-2222

1395-32-1603-61-2335

1420-52-1732-61-2403

1580-61-2129-71-2555

1580-71-1935-78-2247-85-2842

पी० पी० एल०
जहाँ तक पी० पी० एल० का सम्बन्ध है 1-1-88 से 31-12-91 तक की अवधि के लिए श्रमिकों के संशोधित वेतनमान एफ. सी. आई/एन० एफ० एल० समूह की कम्पनियों के जैसे ही हैं ।

एम० एफ० एल०

ग्रेड 1 : 1100-20-1200-30-1350-40-1550

ग्रेड 2 : 1165-30-1315-40-1515-50-1765

ग्रेड 3 : 1225-40-1425-50-1675-60-1975

ग्रेड 4 : 1325-50-1575-60-1875-70-2225

ग्रेड 5 : 1485-60-1785-70-2135-80-2535-90-2985

सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

वित्तिक 1-1-87 से लागू 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा
स्वीकृत श्रमिकों के वेतनमान

टिप्पणी

फैक्ट

1100-20-1460
1145-23-1250-27-1611
1175-27-1310-31-1713
1215-31-1370-35-1825
1255-35-1430-40-1950
1300-40-1500-45-2085
1340-45-1565-50-2215
1385-50-1635-56-2363
1435-56-1715-63-2534
1480-63-1795-70-2635
1535-70-1885-77-2732
1595-77-1980-85-2830

श्री. पी. सी. एल.

1300-15-1570
1380-20-1700
1400-25-1800
1450-30-1930
1500-35-2060
1550-40-2190
1600-45-2320
1650-50-2450
1700-55-2580
1850-60-3110

टिप्पणी

दिनांक 1-1-87 से लागू 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा
स्वीकृत श्रमिकों के वेतनमान

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

सहकारी संघ

इपको	1105-18-1285-20-1385
	1150-20-1330-22-1418
	1170-22-1302-24-1446
	1230-24-1398-31-1646
	1295-31-1512-38-1816
	1325-31-1511-38-1853
	1390-52-1598-61-2086
	1565-71-1849-78-2473
	1715-85-2055-90-2775
कृषको	1100-18-1280-20-1380
	1150-20-1330-22-1418
	1170-22-1302-24-1446
	1230-24-1398-31-1646
	1295-31-1512-38-1816
	1325-31-1511-38-1853
	1390-52-1598-61-2086
	1565-71-1849-78-2473
	1715-85-2055-90-2775